

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-1** में राज्य की रूपरेखा और पूर्व एवं पश्च लेखापरीक्षा में राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-2** एवं **3** में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों की जाँच से उत्पन्न मामलों की लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं।

अध्याय-4 लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन से संबन्धित राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

अध्याय-5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (रा सा क्षे उ) के वित्तीय प्रदर्शन के साथ-साथ उत्तराखण्ड सरकार, भारत सरकार और अन्य द्वारा दिए गए ऋण निवेश, बजटीय सहायता के विवरण की चर्चा करता है। यह रा सा क्षे उ के द्वारा वार्षिक लेखों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति को भी दर्शाता है।

प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों में की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा व लेन-देनों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों को पृथक से प्रस्तुत किया गया है।

